बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्याः 1प्रा0आ0–21/2018 2898 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 15/10/2018

अधिसूचना

वर्ष 2018 में राज्य में मॉनसून की वर्षा की स्थिति अत्यधिक दयनीय है। वर्षा की कमी के फलस्वरूप बहुत सारे प्रखण्डों में खरीफ फसल (धान) की रोपनी/बुआई लक्ष्य से कम हो पाई है। जिन क्षेत्रों में रोपनी/बुआई की गयी है, वहाँ भी अल्प वर्षापात् के कारण उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। भारत मौसम विभाग एवं कृषि विभाग, बिहार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में वर्षापात की स्थिति अत्यंत खराब है। 01 जून से 30 सितम्बर तक राज्य में 1027.6 मि0मी0 औसत वर्षापात के विरूद्ध आलोच्य अवधि में मात्र 771.3 मि0मी0 बारिश ही हो पाई है। वर्षापात अनियमित भी रहा है। इस प्रकार वर्षापात में औसतन 25 प्रतिशत की कमी पाई गई है। इसी प्रकार 01 जून से 15 अक्टूबर तक औसत सामान्य वर्षापात 1078.1 मि0मी0 के विरूद्ध आलोच्य अवधि में मात्र 789.0 मि0मी0 वर्षा हो पायी है, जो औसतन 26.8 की कमी है।

धान की रोपनी को बचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा 5 पटवन के लिए डीजल अनुदान दिया जा रहा है। इसी प्रकार नहरो से भी अन्तिम छोर तक सिंचाई उपलब्ध करायी जा रही है। जलाशयों में उपलब्ध संचित जल से भी सिंचाई का प्रबंध कराया गया है तथा राजकीय एवं निजी नलकूपों के द्वारा भी सिंचाई करायी जा रही है। कृषि उपयोग हेतु बिजली की भी निर्बाध आपूर्ति की जा रही है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा माह सितम्बर में अच्छी वर्षापात की पूर्वानुमान की गई थी, जिससे लगाये गए धान को बचाया जा सकता था, परन्तु माह सितम्बर में वर्षापात की अत्यधिक कमी के कारण वर्त्तमान में जिलो से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ प्रखण्डों में जहाँ धान की रोपनी हो चुकी है, वहाँ वर्षापात की कमी एवं जलाशयों में जल संचित नहीं रहने के कारण सिंचाई हेतु जल की अनुपलब्धता के कारण धान मुरझा रहा है।

अल्प वर्षापात के कारण राज्य के भू एवं सतही जलस्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। राज्य के कई भागों में जलस्रोत सूख रहे हैं एवं जलाशयों तथा भूगर्भ जलस्तर में कमी आयी है। कृषि एवं जल संसाधनों के अतिरिक्त सूखे का कुप्रभाव पशु संसाधन एवं रोजगार पर भी पड़ने की प्रबल संभावना है। खरीफ फसल के नुकसान होने तथा माह सितम्बर– अक्टूबर में वर्षा की कमी एवं मृदा में नमी की कमी के कारण रबी फसल के भी प्रभावित होने की संभावना बढ़ गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर राज्य में कृषि उत्पादन में कमी की स्थिति बन गई है, जिसका सीधा प्रभाव कृषि के उपर पड़ेगा।

कृषि विभाग, बिहार के पत्रांक 5184 दिनांक 15.10.18 से प्राप्त विस्तृत प्रतिवेदनानुसार 23 जिले यथा पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, गया, जहानाबाद,

नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, नालन्दा एवं सहरसा के कुल 206 प्रखण्डों में खेती किये गए जमीन में दरार उत्पन्न हो गये हैं अथवा फसलों में मुरझाने (wilting) का प्रभाव है अथवा उपज में 33 प्रतिशत या उससे अधिक उत्पादन में कमी सम्भावित है। इसके आलोक में राज्य के 23 प्रभावित जिलों के 206 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है जिनकी समेकित सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

2. अधिसूचित जिलों में सुखाड़ से निपटने हेतु दी जानेवाली सहायता राज्य संसाधन से किया जायेगा।

3. अधिसूचित जिलों में किसानों से सहकारिता ऋण, राजस्व लगान एवं सेस, पटवन शुल्क, विद्युत शुल्क जो सीधे कृषि से संबंधित हो, की वसूली वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए स्थगित रहेगी।

4. प्रभावित जिलों में फसल को बचाने, वैकल्पिक कृषि कार्य की व्यवस्था करने, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने, पशु संसाधनों का सही रख–रखाव करने, इत्यादि, के लिए आवश्यकतानुसार साहाय्य कार्य चलाने, आदि की व्यवस्था की जाएगी जिसके लिए संबंधित विभाग द्वारा निम्न प्रकार से वर्णित कार्य किये जायेंगे–

(i) **कृषि प्रक्षेत्र**

क. कृषि विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार फसल की सुरक्षा एवं बचाव के लिए कृषि इनपुट के रूप में डीजल, बीज आदि पर सब्सिडी की व्यवस्था।

ख. वैकल्पिक फसल योजना तैयार कर उसके सफल क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

ग. किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलवाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। इसके अन्तर्गत फसल बीमा से आच्छादित किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी का लाभ भी दिया जायेगा।

घ. किसानों को फसल सहायता योजना का लाभ दिया जायेगा।

ड. कृषि इनपुट सब्सिडी का लाभ आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा दिया जायेगा। इसके लिए कृषकों को अधिकतम 2 हेक्टेयर की अधिसीमा तक कृषि इनपुट सब्सिडी, एस0डी0आर0एफ0 / एन0डी0आर0एफ0 मानदर के अनुरूप अनुमान्य होगा।

(ii) **पेयजल**

जलापूर्ति की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की जाएगी। सूखागस्त क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हेतु पूर्व में लगाये गये चापाकलों की मरम्मति की जाएगी। आवश्कतानुसार आकलन कर पुराने चापाकलों को और गहरे स्तर तक

गाड़े जाने की आवश्यकता होगी। जरूरत के अनुसार नये चापाकल भी लगाये जायेंगे। प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।

(iii) <u>खाद्यान्न</u>

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि जिलों में पर्याप्त खाद्यान्न का भंडारण है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सभी पात्र परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध हो।

(iv) <u>पशु संसाधन</u>

सुखाड़ के कारण पशुचारा की तत्कालिक कमी नहीं है, परन्तु कालान्तर में कृषि फसल अवशेष की लगातार कमी के कारण इसके दीर्घकालीन प्रभाव अवश्यंभावी है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पशुचारा की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा। सुखाड़ की स्थिति में जलाशय सूख रहे हैं जिसके कारण पशुओं के लिए पेयजल की नितांत कमी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से समन्वय स्थापित कर स्थिति का आकलन कर स्थल का चयन किया जाएगा तथा इन चयनित स्थलों को शिविर के रूप में चिन्हित किया जा सकेगा। इन चिन्हित स्थलों पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा जल की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर सोलर पंप के द्वारा जल की व्यवस्था शामिल होगा।

सुखाड़ के कारण पशुओं में इफिमेरल फीवर, हीट स्ट्रोक, न्यूमोनिया, दस्त जैसी सामान्य पशु रोगों की बहुतायत होती है। इन हेतु पशु चिकित्सालयों में दवा का भंडारण कर लिया जाएगा।

(v) <u>रोजगार सृजन</u>

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि कार्य की कमी के कारण मजदूरों के समक्ष रोजीरोटी का संकट उत्पन्न होगा। अतएव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में गतिशीलता लायी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन हेतु मनरेगा के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की सूची तैयार रखी जाएगी जिसमें जल संरक्षण की योजना यथा – तालाब, आहर एवं पाइन उड़ाही, चेक डैम, डगबेल, वृक्षारोपण इत्यादि की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक पंचायत में जल संरक्षण की न्यूनतम दो–दो योजनाएँ संचालित की जाएगी।

अन्य संबंधित विभाग यथा ग्रामीण कार्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग भी सूखे से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार रोजगारोन्मुख परियोजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे।

(vi) <u>लघु जल संसाधन</u>

बिहार शताब्दी नलकूप योजना की ऑनलाईन व्यवस्था के तहत सभी कृषकों को जल्द से जल्द निजी नलकूप गाड़ने हेतु अनुदान उपलब्ध कराने, चालू नलकूपों से लगे हुए फसलों को बचाने तथा सरकार की नीति के अनुरूप हस्तांतरण की कार्रवाई की जायेगी।

(viii) <u>विद्युत</u>

ऊर्जा विभाग द्वारा कृषि एवं अन्य कार्यों हेतु सुखाड़ से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा इसका प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाएगा।

5. <u>अनुश्रवण</u>

क. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में सुखाड़ साहाय्य कार्य चलाए जायेंगे। सुखाड़ के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर 24 घंटे क्रियाशील नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। इसकी दूरभाष संख्या को आम जनता की जानकारी हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा। नियंत्रण कक्ष में रोस्टर में सिविल पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य तकनीकी सेवाओं के पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किये जाएंगे। जिला पदाधिकारी के अधीन गठित टॉस्कफोर्स सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति एवं इसके निवारण हेतु किये जा रहे प्रयासों का साप्ताहिक अनुश्रवण करेगा।

ख. राज्य मुख्यालय में आपदा प्रबंधन विभाग में राहत कार्य के अनुश्रवण हेतु गठित नियंत्रण कक्ष निरंतर क्रियाशील रहेगा।

ग. ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाएंगे जो निरंतर क्रियाशील रहेंगे।

घ. राज्य स्तर पर गठित आपातकालीन प्रबंधन समूह (Crisis Management Group) निरंतर क्रियाशील रहेगा तथा सुखाड़ग्रस्त जिलों में राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का सतत् अनुश्रवण करेगा।

6. उपर्युक्त के आलोक में संबंधित विभाग अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई कर आदेश निर्गत करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–21 / 2018................... /आ0प्र0 पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव / सचिव, कृषि विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / ऊर्जा विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / वित्त विभाग / सहकारिता विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / पंचायती राज विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी संबंधित विभागों से अनुरोध है कि वे सूखाग्रस्तघोषित जिलों में कंडिका 3, 4 एवं 5 में वर्णित अपने विभाग से संबंधित कार्य प्रारम्भ करने हेतु त्वरित कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–21 / 2018 2898 /आ0प्र0 पटना, दिनांक 15/10/18

प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी, पटना / भोजपुर / बक्सर / कैमूर / गया / जहानाबाद / नवादा / औरंगाबाद / सारण / सिवान / गोपालगंज / मुजफ्फरपुर / वैशाली / दरभंगा / मधुबनी / समस्तीपुर / मुंगेर / शेखपुरा / जमुई / भागलपुर / बांका / नालन्दा एवं सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–21 / 2018 2898 /आ0प्र0 पटना, दिनांक 15/10/18

प्रतिलिपिः सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–21 / 2018 2898 /आ0प्र0 पटना, दिनांक 15/10/18

प्रतिलिपिः सरकार के सभी विभाग / विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–21 / 2018 2898 /आ0प्र0 पटना, दिनांक 15/10/18

प्रतिलिपिः संबंधित जिलों के प्रभारी सचिव / प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–21 / 2018 2898 / आ0प्र0 पटना, दिनांक 15/10/18

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव / विकास आयुक्त / माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / सभी माननीय मंत्री के आप्त सचिव को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

15/10

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–21 / 2018 2898 / आ0प्र0 पटना, दिनांक 15/10/18

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अधिसूचना की प्रति एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है अधिसूचना गजट की सौ प्रति विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

15/10

प्रधान सचिव

अनुलग्नक—क

बिहार में सुखाड़ग्रस्त जिलों की प्रखंडवार सूची
(कुल 23 जिले के 206 प्रखंड)

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम
1	पटना	बिक्रम
2	पटना	दनियावां
3	पटना	धनरूआ
4	पटना	दुल्हिन बाजार
5	पटना	मसौढ़ी
6	पटना	नौबतपुर
7	पटना	पालीगंज
8	पटना	फुलवारीशरीफ
9	भोजपुर	बड़हरा
10	भोजपुर	शाहपुर
11	बक्सर	नवानगर
12	बक्सर	ब्रहमपुर
13	बक्सर	चौगाई
14	कैमूर	अधौरा
15	गया	नगर
16	गया	मानपुर
17	गया	वजीरगंज
18	गया	खिजरसराय
19	गया	फतेहपुर
20	गया	टनकुप्पा
21	गया	अतरी
22	गया	मोहड़ा
23	गया	बथानी
24	गया	बेलागंज
25	गया	कोंच
26	गया	टेकारी
27	गया	गुरारू
28	गया	परैया
29	गया	गुरूआ
30	गया	बोधगया
31	गया	मोहनपुर
32	गया	बाराचट्टी
33	गया	डोभी
34	गया	शेरघाटी

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम
35	गया	आमस
36	गया	बॉकेबाजर
37	गया	इमामगंज
38	गया	डुमरिया
39	जहानाबाद	मोदनगंज
40	नवादा	अकबरपुर
41	नवादा	गोविन्दपुर
42	नवादा	हिसुआ
43	नवादा	काशीचक
44	नवादा	कौआकोल
45	नवादा	मेसकौर
46	नवादा	नवादा
47	नवादा	पकरीवरावॉ
48	नवादा	रोह
49	नवादा	सिरदला
50	नवादा	वारिसलीगंज
51	औरंगाबाद	औरंगाबाद
52	औरंगाबाद	गोह
53	औरंगाबाद	रफीगंज
54	औरंगाबाद	मदनपुर
55	औरंगाबाद	देव
56	औरंगाबाद	कुटुम्बा
57	औरंगाबाद	नवीनगर
58	सारण	अमनौर
59	सारण	बनियापुर
60	सारण	छपरा
61	सारण	दरियापुर
62	सारण	दीघवारा
63	सारण	एकमा
64	सारण	गरखा
65	सारण	इसुआपुर
66	सारण	जलालपुर
67	सारण	लहलादपुर
68	सारण	मढ़ौरा
69	सारण	मकेर
70	सारण	मांझी
71	सारण	मशरख
72	सारण	नगरा

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम
73	सारण	पानापुर
74	सारण	परसा
75	सारण	रिविलगंज
76	सारण	सोनपुर
77	सारण	तरैया
78	सिवान	सिवान सदर
79	सिवान	पचरूखी
80	सिवान	महाराजगंज
81	सिवान	भगवानपुरहाट
82	सिवान	बसंतपुर
83	सिवान	लकड़ीनबीगंज
84	सिवान	बड़हरिया
85	सिवान	गोरेयाकोठी
86	सिवान	दरौंदा
87	सिवान	मैंरवा
88	सिवान	नौतन
89	सिवान	हुसैनगंज
90	सिवान	आन्दर
91	सिवान	जीरादेई
92	सिवान	सिसवन
93	सिवान	रघुनाथपुर
94	सिवान	दरौली
95	सिवान	गुठनी
96	सिवान	हसनपुरा
97	गोपालगंज	बैकुण्ठपुर
98	गोपालगंज	हथुआ
99	गोपालगंज	उचकागांव
100	गोपालगंज	फुलवरिया
101	गोपालगंज	पंचदेवरी
102	गोपालगंज	विजयीपुर
103	मुजफ्फरपुर	साहेबगंज
104	मुजफ्फरपुर	पारू
105	वैशाली	हाजीपुर
106	वैशाली	लालगंज
107	वैशाली	वैशाली
108	वैशाली	बेलसर
109	वैशाली	बिदुपुर
110	वैशाली	महुआ

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम
111	वैशाली	राजापाकर
112	वैशाली	पातेपुर
113	वैशाली	गोरौल
114	वैशाली	चेहराकला
115	वैशाली	जन्दाहा
116	वैशाली	महनार
117	वैशाली	सहदेई
118	दरभंगा	किरतपुर
119	दरभंगा	हायाघाट
120	दरभंगा	अलीनगर
121	दरभंगा	मनीगाछी
122	दरभंगा	बहेड़ी
123	दरभंगा	जाले
124	दरभंगा	तारडीह
125	दरभंगा	विरौल
126	दरभंगा	बेनीपुर
127	दरभंगा	गौराबौराम
128	दरभंगा	घनश्यामपुर
129	मधुबनी	रहिका
130	मधुबनी	पंडौल
131	मधुबनी	राजनगर
132	मधुबनी	कलुआही
133	मधुबनी	खजौली
134	मधुबनी	बाबूवरही
135	मधुबनी	जयनगर
136	मधुबनी	बासोपट्टी
137	मधुबनी	बेनीपट्टी
138	मधुबनी	हरलाखी
139	मधुबनी	विस्फी
140	मधुबनी	झंझारपुर
141	मधुबनी	मधेपुर
142	मधुबनी	अंधराठाढ़ी
143	समस्तीपुर	वारिसनगर
144	समस्तीपुर	बिथान
145	समस्तीपुर	खानपुर
146	समस्तीपुर	मोरवा
147	समस्तीपुर	पटोरी
148	समस्तीपुर	समस्तीपुर

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम
149	समस्तीपुर	सरायरंजन
150	समस्तीपुर	शिवाजीनगर
151	समस्तीपुर	सिंघिया
152	समस्तीपुर	ताजपुर
153	समस्तीपुर	उजियारपुर
154	समस्तीपुर	विभूतीपुर
155	मुंगेर	हवेली खड़गपुर
156	शेखपुरा	अरियरी
157	शेखपुरा	बरबीघा
158	शेखपुरा	घाट कुशुम्बा
159	शेखपुरा	चेवाड़ा
160	शेखपुरा	शेखपुरा
161	शेखपुरा	शेखोपुरसराय
162	जमुई	अलीगंज
163	जमुई	बरहट
164	जमुई	चकाई
165	जमुई	गिद्धौर
166	जमुई	जमुई
167	जमुई	झाझा
168	जमुई	खैरा
169	जमुई	लक्ष्मीपुर
170	जमुई	सिकंदरा
171	जमुई	सोनो
172	भागलपुर	सबौर
173	भागलपुर	सन्हौला
174	भागलपुर	शाहकुंड
175	भागलपुर	सुलतानगंज
176	भागलपुर	नाथनगर
177	भागलपुर	जगदीशपुर
178	भागलपुर	गौराडीह
179	बाँका	अमरपुर
180	बाँका	बौंसी
181	बाँका	बेलहर
182	बाँका	चांदन
183	बाँका	धौरैया
184	बाँका	फुल्लीडुमर
185	बाँका	कटौरिया
186	नालन्दा	बेन

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम
187	नालन्दा	चण्डी
188	नालन्दा	एकंगरसराय
189	नालन्दा	गिरियक
190	नालन्दा	हिलसा
191	नालन्दा	इस्लामपुर
192	नालन्दा	करायपरसुराय
193	नालन्दा	कतरीसराय
194	नालन्दा	परबलपुर
195	नालन्दा	सिलाव
196	नालन्दा	थरथरी
197	सहरसा	कहरा
198	सहरसा	सौरबाजार
199	सहरसा	सोनवर्षा
200	सहरसा	सलखुआ
201	सहरसा	सिमरी बख्तियारपुर
202	सहरसा	नवहट्टा
203	सहरसा	पतरघट
204	सहरसा	बनमा ईटहरी
205	सहरसा	सत्तरकटैया
206	सहरसा	महिषी

प्रधान सचिव